



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-ए.एस.-अ.-08072026-274258
CG-AS-E-08072026-274258

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3502]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 6, 2026/आषाढ 15, 1948

No. 3502]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 6, 2026/ASHADHA 15, 1948

रेल मंत्रालय
(पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे)

अधिसूचना

मालीगांव, 1 जुलाई, 2026

का.आ. 3663(अ).—रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 2 के खंड (37ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार निम्नलिखित परियोजनाओं को, नीचे दी गई तालिका के कॉलम (2) में उल्लिखित विशेष रेलवे परियोजना के रूप में, उक्त तालिका के कॉलम (3) में उल्लिखित राज्य में आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से अधिसूचित करती है:

सारणी

विशेष रेल परियोजना

क्रम सं.	विशेष रेलवे परियोजना का नाम	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
1.	पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के अंतर्गत बागडोगरा से गुलमा के बीच (सिलीगुड़ी जंक्शन को बायपास करते हुए) 1.25 कि.मी. लंबी बाईपास लाइन।	पश्चिम बंगाल
2.	पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की संजयग्राम से धाचन स्टेशन के बीच बाईपास लाइन (बरसोई जंक्शन को बाईपास करते हुए) (1.95 कि.मी.)।	बिहार

[फा. सं. जीएसयू/एमआईएससी/2026/7]

राम मूर्ति मीणा, मुख्य परियोजना प्रबंधक/गतिशक्ति/कटिहार (LA)

MINISTRY OF RAILWAYS

(Northeast Frontier Railway)

NOTIFICATION

Maligaon, the 1st July, 2026

S.O. 3663(E).—In exercise of the powers conferred by clause (37A) of Section 2 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government hereby notifies the following projects as special railway project, as mentioned in column (2) of the table below in the State mentioned in column (3) of the said table with effect from the date of publication of these notification in the Official Gazette.

TABLE**Special Railway Project**

Sl.No.	Name of the Special Railway Project	State/UT
(1)	(2)	(3)
1.	Bypass line between Bagdogra to Gulma (Bypassing siliguri Jn.) (1.25 Km) of Northeast Frontier railway.	West Bengal
2.	Bypass line between Sanjaygram to Dhachna station(bypassing barsoi Jn.) 1.95 Km) of Northeast Frontier Railway.	Bihar

[F. No. GSU/MISC/2026/7]

RAM MURTI MEENA, Chief Project Manager/Gatishakti/Katihar (LA)

अधिसूचना

मालीगांव, 1 जुलाई, 2026

का.आ. 3664(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24), की धारा 2 के खण्ड (7क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) जिला के संबंध में पश्चिम बंगाल, बिहार राज्य में विशेष रेल परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और संचालन के लोक प्रयोजन के लिए नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे प्राधिकारी के रूप में कृत्यों का निर्वहन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है

सारणी

क्रम सं.	सक्षम प्राधिकारी	जिला
(1)	(2)	(3)
1	अपर जिला मजिस्ट्रेट (भूमि अधिग्रहण) / दार्जिलिंग	दार्जिलिंग
2	जिला भू-अर्जन पदाधिकारी / कटिहार	कटिहार

[फा. सं. जीएसयू/एमआईएससी/2026/7]

राम मूर्ति मीणा, मुख्य परियोजना प्रबंधक/गतिशक्ति/कटिहार (LA)

NOTIFICATION

Maligaon, the 1st July, 2026

S.O. 3664(E).—In exercise of the powers conferred by clause (7A) of Section 2 of the Railways Act, 1989(24 of 1989), the Central Government hereby authorise the officer mentioned in column (2) of the table below as “Competent Authority” to perform the functions as such authority under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette in respect of the special railway project of in the State of

West Bengal , Bihar relating to district Mentioned in Column (3) of the said table for the public purpose of execution maintenance,management and operation of such special Railway Project.

TABLE

Sl. No.	Competent Authority	District
(1)	(2)	(3)
1	Additional District Magistrate (LA), Darjeeling	Darjeeling
2	District Land Acquisition Officer, Katihar	Katihar

[F. No. GSU/MISC/2026/7]

RAM MURTI MEENA, Chief Project Manager/Gatishakti/Katihar (LA)